रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022020-215889 CG-DL-E-03022020-215889

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] No. 64] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2020/माघ 14, 1941 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2020/MAGHA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 3 फरवरी. 2020

सं. 06/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 82(अ).—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, (जिसे इस अधिसूचना में इसके के पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक की कालावधि के संबंध में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्ष के लिए सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी देने की समय-सीमा को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा-विनिर्दिष्ट समय अविध तक बढ़ाते हैं, अर्थात:—

सारणी

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके कारोबार का मुख्य स्थान निम्न में से कहीं भी है	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विवरणी देने की नियत तारीख
(1)	(2)	(3)
1	चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पंजाब,	5 फरवरी, 2020
	राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	

682 GI/2020 (1)

2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम,	7 फरवरी, 2020
	बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव, गोवा,	
	हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्ष्यद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,	
	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना,	
	त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल,अन्य राज्य क्षेत्र	

[फा. सं. 20/06/07/2019-जीएसटी] प्रमोद कमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2020

No. 06/2020-Central Tax

G.S.R. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time-limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, in respect of the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018, for the class of registered person specified in column (2) of the Table below, till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Registered person, whose principal place of business is in	Due date for furnishing return under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules for the FY 2017-18
(1)	(2)	(3)
1.	Chandigarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand.	5 th February, 2020.
2.	Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Sikkim, Telangana, Tripura, West Bengal, Other Territory.	7 th February, 2020.

[F. No. 20/06/07/2019-GST] PRAMOD KUMAR, Director